कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2018/ भाग(9) / 124 दिनांक :: 25 नवम्बर, 2020

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे श्री (डॉ.) समित शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: **गत बैठक दिनांक 29 जून 2020 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि**

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **29 जून 2020** का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **29 जून 2020** का कार्यवाही विवरण पुष्ठि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 29 जून, 2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: गैर राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर कराए गए विकास कार्यों की स्वीकृति बाबत् एजेण्डा नोट

क्र.सं.	**प्रभारी अधिकारी को एजेण्डा के संबधं में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं टिप्पणी के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया हैं।	प्राधिकरण के गैर राजकीय भूमि अधिक एवं अतिरिक्त आईटमों के प्रकरण तथा स्थान परिवर्तन के प्रकरणों का आगामी प्राधिकरण बैठक में रखे जाने वाले प्रकरणों की स्वीकृति का प्रस्ताव।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.04.2018 के प्रस्ताव सं. 6 में निर्णय लिया गया कि (परिशिष्ट–1) गत समय में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विभिन्न सार्वजनिक शमशानों, सामुदायिक भवनों, धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, मदरसो एवं समाज के न्याति नोहरों, समाज के निजि विद्यालयों व समाज के छात्रावासों में निर्माण कार्य करवाये गये। इस प्रकार के कार्यों के भुगतान के लिए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात निम्नलिखित अधिकारियो की समिति के निर्णय अनुसार भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावे–

1.	आयुक्त	अध्यक्ष
2.	निदेशक अभियांत्रिकी	सदस्य सचिव
3.	निदेशक वित्त	सदस्य
4.	सचिव	सदस्य
5.	संबंधित अधीक्षण अभियंता	सदस्य
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड वरिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
7.	श्री नैनूराम मुख्य लेखाधिकारी	सदस्य

उक्त कमेटी की बैठक दिनांक 13.03.2019 एवं 14.03.2019 को आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में सम्पन हुई जिसमें निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विशेष आमंत्रित

सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। उक्त बैठक में गैर सरकारी स्वामित्व की भूमि पर कराये गये कार्यों के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। (परिशिष्ट–2) उसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक 1908

दिनांक 18.03.2019 द्वारा लिखा गया। (परिशिष्ट–3) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक दिनांक 10.04.2019 द्वारा इस सन्दर्भ में कुछ बिन्दुओं पर तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी गई। (परिशिष्ट–4) जिसका प्रतिउत्तर प्रेषित करने हेतु उपरोक्त अंकित कमेटी की बैठक दिनांक 24.05.2019 व 10.06.2019 को आयोजित हुई (परिशिष्ट–5 व 6)

जिसमें लिये गये निर्णयानुसार नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 10.04. 2019 के प्रतिउत्तर पत्रांक 282 दिनांक 11.06.2019 द्वारा प्रेषित किया गया (संलग्न परिशिष्ट–7)

तत्पश्चात जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक 389 दिनांक 09.08.2019 द्वारा पुनः लिखा गया, जिसमें गैर–राजकीय भूमि के अलावा अधिक (Excess) व अतिरिक्त (Extra) कार्यों की स्वीकृति भी चाही गई थी, जिसमें RTPP नियमों के प्रावधानों की सीमा से अधिक कार्य करवाया गया था (परिशिष्ट–8)

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास व आवासन विभाग की अध्यक्षता में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में गैर राजकीय भूमि पर जोधपुर शहर स्थित विकास कार्यों में शिथिलता प्रदान किये जाने के क्रम में दिनांक 14.10.2019 को बैठक आयोजित हुई। नोटिस की प्रति परिशिष्ट 9 इस बैठक में निर्देश दिये गये कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर स्तर पर यह छंटनी की जावे कि लोक संस्थान (Public Institution) तथा निजी संस्थान (Private Institution) में कार्य कौन–कौन से है, इसके बाद जनहित में कराये गये कार्यों के कार्यकारी समिति में अनुमोदन बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जावे। साथ ही Excess व Extra Work जो RTPP नियमों की सीमा से अधिक है, उनको भी कार्यकारी समिति से अनुमोदन बाद राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावे। (संलग्न परिशिष्ट–10)

उसी क्रम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2020 के प्रस्ताव सं. 41, 42 व 43 द्वारा इन प्रकरणों को नियमानुसार स्वीकृति हेतु नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। (बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न परिशिष्ट 11)

कार्यालय पत्रांक 2441 दिनांक 06.03.2020 द्वारा प्रकरण कार्यकारी समिति के निर्णय सहित नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किये गये। (संलग्न परिशिष्ट–12)

उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के प.10(1)नविवि/1/2003 पार्ट दिनांक 05.06.2020 द्वारा गैर राजकीय भूमि पर किये गये विकास कार्यों के नियमित किये जाने तथा कार्यों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने, अधिक एवं अतिरिक्त कराये गये विकास कार्यों के आकलन/समीक्षा हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया गया–

1. निदेशक अभियांत्रिकी – संयोजक एवं अध्यक्ष
2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि., सिटिडिविजन प्रथम सदस्य
3. लेखाधिकारी जिला कलक्टर द्वारा नामित सदस्य

उक्त समिति को प्रस्ताव सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। (परिशिष्ट–13)

जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्रांक 3974 दिनांक 16.06.2020 द्वारा श्री मेवाराम लेखाधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर को अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया। (परिशिष्ट–14)

तत्पश्चात् कार्यालय पत्रांक 152 दिनांक 19.06.2020 द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को लिखा गया कि उनके द्वारा समिति गठन संबंधी पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि समिति रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी तथा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भुगतान की स्वीकृति किसके स्तर से जारी की जायेगी। (परिशिष्ट–15)

नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.10(1)नविवि/1/2003/पार्ट दिनांक 14.09.2020 (संलग्न परिशिष्ट–16) द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है कि:–

1. गैर राजकीय भूमि पर किये गये विकास कार्य, जो लोक हित/राज्य हित में कराए गए है तथा जिनसे व्यक्ति विशेष/परिवार विशेष को लाभ नहीं हुआ हो उनको समिति की स्पष्ट अनुशंषा पर तथा प्राधिकरण की बैठक के अनुमोदन पश्चात् भुगतान की कार्यवाही प्राधिकरण के स्तर पर की जा सकती है।

2. 15 प्रकरण जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से प्राप्त नहीं हुए है, उन पर भुगतान प्रक्रिया लम्बित रखी जावें।

3. Additional व Extra Work कराएं गए है, उन्हें तत्समय प्रचलित S.O.P. तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2013, 04.09.2013 व 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुक्रम में कमेटी की अनुशंषा पर प्राधिकरण की सक्षमता में नियमित कर सकेंगें। शेष प्रकरणों जो प्राधिकरण की सक्षमता में नहीं है, को कमेटी की अनुशंषा व प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ उन कारणों का उल्लेख करते हुए कि यह कार्य राज्य हित/लोक हित में कराया जाना आवश्यक था राज्य सरकार को भेजे जावे।

4. जिन प्रकरणों में प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति पश्चात अन्यत्र राज्य हित/लोक हित में कार्य कराए गए है जिनसे परिवार विशेष/व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का लाभ नही हो रहा है, ऐसे प्रकरण कमेटी की अनुशंषा व प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 05.06.20 द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर के पत्र दिनांक 14.09.20 के सन्दर्भ में प्राधिकरण की प्रस्तावित आगामी बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत है। अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रावली पर दिये गये निर्देशों की पालना में इन प्रकरणों को दिनांक 07.10.2020 एवं 12.11.2020 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

गैर राजकीय भूमि, अधिक, अतिरिक्त व स्थान परिवर्तन कर करवाये गये कार्यो के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.06.2020 से गठित कमेटी की अनुशंषा अनुसार एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में अध्यक्ष महोदय से प्राप्त निर्देशो की पालना में पुनः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी समिति के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण बैठक में रखे जाने वाला एजेण्डा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

1– गैर राजकीय भूमि पर कराये गये विकास कार्यों की भुगतान की स्वीकृतिः–

नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.10 (1) नविवि/I/2003/ पार्ट दिनांक 14 सितम्बर, 2020 में गैर राजकीय भूमि पर किये गये विकास कार्य जो लोकहित/राज्यहित में करवाये गये हैं तथा जिनसे व्यक्ति विशेष /परिवार विशेष को लाभ नहीं हुआ हो, को विभागीय आदेश कमांक प.10 (1) नविवि/I/2003/ पार्ट दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा गठित समिति की स्पष्ट अनुशंषा पर तथा प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन पश्चात् भुगतान की कार्यवाही प्राधिकरण के स्तर पर की जा सकती है, निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.10(1) नविवि/I/2003/पार्ट दिनांक 5 जून, 2020 द्वारा गठित कमेटी द्वारा गैर राजकीय भूमि पर कराये गये विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण एवं रिकार्ड का परीक्षण कर लिया गया है। कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि मौका निरीक्षण के दौरान निर्मित सम्पत्तियों का सार्वजनिक उपयोग होना पाया तथा निजी उपयोग होना नहीं पाया गया। अतः इसमें राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन पश्चात् भुगतान कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर नियमानुसार की जा सकती

है। कमेटी द्वारा प्रत्येक कार्य की पत्रावली वार रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट अनुसार कुल 545 कार्य गैर राजकीय भूमि पर कराये गये हैं। इन कार्यों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की अनुशंषा अनुसार एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में अध्यक्ष महोदय से प्राप्त निर्देशो की पालना में पुनः कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 12.11.2020 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"बैठक में बाद विचार विमर्श यह पाया गया कि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.10(1)नविवि/टी/2003 पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्वारा गैर राजकीय भूमि पर किये गये विकास कार्य जो लोकहित/राज हित में कराए गए हैं तथा जिनसे व्यक्ति विशेष/परिवार को लाभ नहीं हुआ हों। उनके लिये विभागीय आदेश प.10(1) नविवि/टी/2003 पार्ट दिनांक 05.06.2020 द्वारा गठित कमेटी को अनुशंषा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया हैं। उक्त गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत अनुसार कुल 545 कार्य गैर राजकीय भूमि पर करवाये गये हैं। जिनका भौतिक निरीक्षण एवं रिकोर्ड परीक्षण उपरान्त कमेटी द्वारा सम्पतियों का सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया, निजी उपयोग होना नहीं पाया गया एवं मौके पर कार्य होना भी पाये जाने की रिपोर्ट दी हैं।

अतः उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार कार्य हो चुका है, भुगतान के अभाव में भविष्य में अनावश्यक न्यायिक विवाद उत्पन्न ना हो, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय विभाग के निर्देशों के क्रम में इस प्रयोजनार्थ गठित कमेटी की अनुशंषा को भी मध्यनजर रखते हुए इन कार्यो के भुगतान की अनुशंषा करते हुए प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ एवं समुचित निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।" कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण बैठक के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श में पाया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प(10)(1) नविवि /T/2003/ पार्ट दिनांक 05.06.2020 द्वारा गठित कमेटी ने गैर राजकीय भूमि पर कराये गये कुल 545 कार्यो का भौतिक निरीक्षण एंव रिकार्ड परीक्षण उपरान्त सम्पतियों का सार्वजनिक उपयोग होना व मौके पर कार्य होना पाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प(10)(1) नविवि /T/2003/ पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों एंव कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 के प्रस्ताव संख्या 2(1) में कार्यकारी समिति द्वारा की गई अनुशंषा के क्रम में प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण निर्णयार्थ/आदेशार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

2– अतिरिक्त (Extra) व अधिक (Excess) कार्य बाबतः–

नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.10 (1) नविवि/T/2003/ पार्ट दिनांक 14 सितम्बर, 2020 द्वारा अधिक (Excess) व अतिरिक्त (Extra) कार्यों के संबंध में निम्न अनुसार निर्देश प्रदान किये हैं:–

"प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों में Additional & Extra works कराए गए है, उन्हें तत्समय प्रचलित S.O.P. तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2013, 04.09.2013 तथा 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुक्रम में उक्त कमेटी की अनुशंषा पर प्राधिकरण की सक्षमता में नियमित कर सकेंगे। शेष प्रकरणों को कमेटी की अनुशंषा व प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ, उन कारणों का उल्लेख करते हुए कि यह कार्य राज्यहित/लोकहित में कराया जाना आवश्यक था, राज्य सरकार को भेजे जावे।"

इस संबंध में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5 जून, 2020 से गठित कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि विभिन्न अनुबंधों के तहत कराये गये विकास कार्य मौके पर लोकहित में होना पाया गया है। पत्रावली में संलग्न विपत्रों के अनुसार अधिक (Excess) व अतिरिक्त (Extra) आईटमों की गणना की गयी तथा कार्यादेश की दिनांक अनुसार आर0टी0पी0पी0 नियम लागू होने से पूर्व के प्रकरण, आर0टी0पी0पी0 नियम लागू होने से प्रथम संशोधन दिनांक 4 सितम्बर, 2013 तक तथा दिनांक 4 सितम्बर, 2013 से 16 फरवरी, 2018 के प्रकरणों का वर्गीकरण कर पत्रावली वार रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कार्यों के वर्गीकरण अनुसार तत्कालीन एस0ओ0पी0 व आर0टी0पी0पी0 नियमों के तहत जो प्रकरण प्राधिकरण की सक्षमता में है ऐसे प्रकरणों की संख्या 436 है जिनकी सूची एनेक्सचर–ए पर संलग्न की गयी है। इसकी स्वीकृति प्राधिकरण स्तर से एस0ओ0पी0 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।

जो प्रकरण प्राधिकरण की सक्षमता से परे है, उन प्रकरणों की सूची एनेक्सचर–बी व एनेक्सचर–सी में संलग्न है, ऐसे प्रकरणों की संख्या 236+195=431 है। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है। पत्रावलीवार रिपोर्ट संलग्न की है। अतः कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2020 के परिपेक्ष्य में एनेक्सचर–ए में वर्णित 436 कार्य जो तत्कालीन एस0ओ0पी0 व आर0टी0पी0पी0 नियमों के तहत जो कार्य प्राधिकरण की सक्षमता में है, उनकी स्वीकृति एस0ओ0पी0 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर नियमित किये जाने हैं। एनेक्सचर–बी व एनेक्सचर–सी में वर्णित कुल 431 कार्य जो तत्कालीन एस0ओ0पी0 व आर0टी0पी0पी0 नियमों के तहत प्राधिकरण की सक्षमता में नहीं है एवं कमेटी की रिपोर्ट अनुसार लोकहित में कराये गये हैं, उनको प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाना है।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.10 (1) नविवि/I/2003/ पार्ट दिनांक 14 सितम्बर, 2020 जिसके क्रम में अधिक (Excess) व अतिरिक्त (Extra) कार्यों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की अनुशंषा अनुसार एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में अध्यक्ष महोदय से प्राप्त निर्देशो की पालना में पुनः कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 12.11.2020 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में निर्णयानुसार निर्णय लिया गया।

"बैठक में बाद विचार विमर्श यह पाया गया कि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.10(1)नविवि/टी/2003 पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्वारा अधिक /अतिरिक्त कार्यो का तत्सयम प्रचलित एसओपी तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24.1.2013, 04.09.2013, 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुरूप नियमित करने की अनुशंषा करने हेतु नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2020 द्वारा गठित कमेटी को अधिकृत किया गया एवं शेष प्रकरण जो प्राधिकरण की सक्षमता में नही हैं एवं लोक हित के है उन कार्यो हेतु कमेटी की अनुशंषा एवं प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुल 436 प्रकरण तत्कालीन एसओपी तथा आरटीपीपी नियमों के तहत प्राधिकरण की सक्षमता में होना अवगत कराया गया है तथा इसकी स्वीकृति प्राधिकरण स्तर से एसओपी में प्रदत शक्तियों के अनुरूप सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर भुगतान करने की अनुशंषा की गई हैं ।

चुंकि ये कार्य हो चुके है एवं कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण में कार्य लोकहित में पाये गये है। साथ ही भुगतान के अभाव में भविष्य में अनावश्यक न्यायिक विवाद उत्पन्न नही हो इसके लिये उपरोक्त कार्य जो तत्कालीन एसओपी तथा आरटीपीपी नियमों के तहत प्राधिकरण की सक्षमता में है, उन कार्यो की कार्यकारी समिति द्वारा अनुशंषा कर जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

इन प्रयोजनार्थ नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.10(1)नविवि/टी/2003 पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्वारा गठित कमेटी द्वारा कुल 431 कार्य जो एसओपी तथा आरटीपीपी नियमों के तहत प्राधिकरण की सक्षमता से परे एवं लोकहित के बताये गये है, प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने की अनुशंषा की गई हैं।

अतः उक्त प्रकरणों को अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने की अनुशंषा कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। राज्य सरकार को भेजे जाने से पूर्व प्राधिकरण बैठक में विचारार्थ एवं समुचित निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।" कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण बैठक के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श में पाया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. (10) (1) नविवि/I/2003/ पार्ट दिनांक 05.06.2020 के द्वारा गठित कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अतिरिक्त (Extra) व अधिक (Excess) कार्य के कुल 436 प्रकरण जो तत्कालीन S.O.P. में प्रदत्त तथा R.T.P.P नियमों के तहत प्राधिकरण की सक्षमता में है इनकी स्वीकृति प्राधिकरण स्तर से S.O.P. प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर भुगतान किया जा सकता है। अतः नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प (10) (1) नविवि /I/2003/ पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों एंव कमेटी की रिपोर्ट अनुसार ऐसे प्रकरणों को तत्कालीन S.O.P. एंव R.T.P.P नियमों के तहत जो प्राधिकरण की सक्षमता में है, उनको कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (2) में कार्यकारी समिति द्वारा की गई अनुशंषा के कम में प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण निर्णयार्थ/आदेशार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

नगरीय विकास विभाग, राज्य सरकार के पत्रांक 05.06.2020 द्वारा गठित कमेटी ने अतिरिक्त (Extra) व अधिक (Excess) कार्यो के कुल 431 प्रकरण तत्कालीन S.O.P. एंव R.T.P.P नियमों के तहत प्राधिकरण की सक्षमता से परे एंव लोकहित में होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है अतः उक्त कमेटी की रिपोर्ट एंव कार्यकारी समिति की अनुशंषा अनुसार नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प(10)(1) नविवि /I/2003/ पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में ऐसे कार्य जो तत्कालीन S.O.P. एंव R.T.P.P नियमों के तहत जो.वि.प्र की सक्षमता से परे है एंव लोकहित के है, उनको कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (2) में कार्यकारी समिति द्वारा की गई अनुशंषा के कम में प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में आगामी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

3– स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कार्य करवाये जाने के क्रम में:–

नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.10 (1) नविवि/I/2003/ पार्ट दिनांक 14 सितम्बर, 2020 में स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कराये गये कार्यों के संबंध में निम्न अनुसार निर्देश प्रदान किये गये हैं:–

"जिन प्रकरणों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात् अन्यत्र राज्यहित/लोकहित में कार्य कराए गए हैं, जिनसे परिवार विशेष/व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे प्रकरण कमेटी की अनुशंषा व प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।"

इस संबंध में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि कार्य का भौतिक निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया तथा मौके पर कार्य लोकहित में होना पाया गया तथा इससे परिवार विशेष/व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का लाभ नहीं होना पाया गया तथा परिवर्तन स्थान के लिए आवेदन एवं अनुमति भी पत्रावली में पाई गई। इन प्रकरणों की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी है। स्वीकृति उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है। पत्रावलीवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कार्यवाही विवरण एनेक्सचर–डी पर संलग्न है।

अतः कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व अनुशंषानुसार तथा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2020 के अनुसरण में कुल 18 (ए0सी0बी0 में गई पत्रावलियों को छोडकर) कार्य जो स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र करवाये गये हैं, प्रकरणों को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने से पूर्व प्राधिकरण से अनुमोदन कराया जाना है।

अतः राज्य सरकार के पत्र कमांक प.10 (1) नविवि/I/2003/ पार्ट दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की पालना में स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र करवाये गये कार्यों बाबत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की अनुशंषा अनुसार एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में अध्यक्ष महोदय से प्राप्त निर्देशो की पालना में पुनः कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 12.11.2020 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में निर्णयानुसार निर्णय लिया गया:–

"बैठक में बाद विचार विमर्श यह पाया गया कि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.10(1)नविवि/टी/2003 पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिन प्रकरणों में प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति बाद अन्यत्र राज्यहित/लोकहित में कार्य कराये गये हैं। जिनमें परिवार विशेष/व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा हैं। ऐसे प्रकरण इस प्रयोजनार्थ गठित कमेटी की अनुशंषा व प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जावें।

चुंकि कमेटी द्वारा कुल 18 कार्य जो कि स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कराये गये है। उनका भौतिक निरीक्षण कर मौके पर लोकहित में उपयोग होना एवं किसी परिवार विशेष/व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का लाभ नहीं होना अवगत कराया गया है। अतः ऐसे प्रकरणों को नगरीय विकास विभाग के निर्देशानुसार कार्योत्तर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने की अनुशंषा कार्यकारी समिति द्वारा की जाती हैं।

नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.10(1)नविवि/टी/2003 पार्ट दिनांक 14.09.2020 के अनुसार राज्य सरकार को भेजने से पूर्व प्राधिकरण की बैठक में समुचित निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।" कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 के निर्णय के क्रम में प्राधिकरण बैठक के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श में पाया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्रांक दिनांक 05.06.2020 द्धारा गठित कमेटी में कुल 18 कार्य जो स्थान परिवर्तन कर अयन्त्र कराये गये है। उनका भौतिक निरीक्षण के बाद मौके पर लोकहित में उपयोग होना एंव किसी परिवार विशेष/व्यक्तिविशेष को किसी प्रकार का लाभ नही होने बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प (10) (1) नविवि /T/2003/ पार्ट दिनांक 14.09.2020 द्धारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कराये गये कार्यो जो लोक हित में उपयोग हो रहे है। एंव किसी प्रकार परिवार विशेष/व्यक्तिविशेष को किसी प्रकार का लाभ नही हो रहा है, उनको कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (3) में कार्यकारी समिति द्वारा की गई अनुशंषा के कम में प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में आगामी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नीलामी हेतु न्यूनतम बोली राशि तय करने हेतु न्यूनतम बोली दर निर्धारण समिति के गठन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। **JDA /FTS NO- 22213**	नीलामी हेतु न्यूनतम बोली राशि तय करने हेतु न्यूनतम बोली दर निर्धारण समिति के गठन की कार्योत्तर स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 में नियम 14 के अन्तर्गत अनेक्सर "ए" निर्धारित नीलामी प्रक्रिया के बिन्दू **(b) The Bid start price shall be fixed by the Trust before advertising the notice for auction, on the recommendation of a Committee constituted by the Trust. The Committee shall consider all factors including market scenario in its recommendations.** के तहत न्यूनतम बोली राशि तय करने हेतु **"न्यूनतम बोली दर निर्धारण समिति"** का गठन इस कार्यालय के पत्रांक एफ21/स्थापना/2020/226-35 दिनांक 10.01.2020 द्वारा गठन किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. निदेशक वित्त – अध्यक्ष

2. सम्बन्धित जोन उपायुक्त
3. मुख्य लेखाधिकारी (द्वितीय) प्रभारी अधिकारी नीलामी शाखा – सदस्य सचिव
4. अधिशाषी अभियंता (सम्बन्धित जोन)
5. उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक (संबंधित जोन)

नियमानुसार उक्त गठित समिति का "ट्रस्ट" से अनुमोदन आवश्यक है। "ट्रस्ट" की जगह जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का गठन हो गया है अतः प्राधिकरण के समक्ष उक्त समिति गठन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से न्यूनतम बोली राशि तय करने हेतु कार्यालय के पत्रांक एफ21 / स्थापना / 2020 / 226–35 दिनांक 10.01.2020 द्वारा गठित **"न्यूनतम बोली दर निर्धारण समिति"** के गठन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: नीलामी समिति के गठन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। **JDA /FTS NO- 95413**	नीलामी समिति के गठन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुशंषा की जाती है।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम 1974 में नियम 14 के अन्तर्गत अनेक्सर "ए" निर्धारित नीलामी प्रक्रिया के बिन्दू (C) Auction shall be held by an Auction Committee constituted by the Trust. के तहत नीलामी समिति का गठन इस कार्यालय के पत्रांक एफ21 / स्थापना / 2020 / 216–225 दिनांक 10.01.2020 द्वारा गठन किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. निदेशक वित्त – (अध्यक्ष)
2. उपायुक्त (संबंधित जोन)
3. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि
4. मुख्य लेखाधिकारी (द्वितीय) प्रभारी अधिकारी नीलामी शाखा – सदस्य सचिव
5. अधिशाषी अभियन्ता (संबंधित जोन)
6. उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक (संबंधित जोन)

नियमानुसार उक्त गठित समिति का "ट्रस्ट" से अनुमोदन आवश्यक है। "ट्रस्ट" की जगह जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का गठन हो गया है अतः प्राधिकरण के समक्ष उक्त समिति गठन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यालय के पत्रांक एफ21 / स्थापना / 2020 / 216–225 दिनांक 10.01.2020 द्वारा गठित नीलामी समिति के गठन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: कलेक्टर कार्यालय परिसर में विभिन्न विकास कार्य।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	**एजेण्डा अनुसार वर्णित कार्यो की अनुशंषा की जाती है।**

A. Repairing Of Fountain at Collectorate.Jodhpur.

Repairing Of Fountain at Collectorate.Jodhpur का क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की 3.025 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

B. Certain repairs/renewal of footpath at garden of collecatrate office.

Certain repairs/renewal of footpath at garden of collecatrate office कार्य का क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर एवं सम्पति पीडब्लुडी की होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की 22.80 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

C. जिला कलक्टरेट पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की काले संगमरमर पत्थर की 4 फीट उंचाई की बैठी अवस्था में मूर्ति निर्माण कर स्थापित करने का कार्य।

जिला कलक्टरेट पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की काले संगमरमर पत्थर की 4 फीट उंचाई की बैठी अवस्था में मूर्ति निर्माण कर स्थापित करने का कार्य कार्य का क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर एवं सम्पति पीडब्लुडी की होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की 1.50 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

D. Construction of Pedestal with Green Marble Stone work for Mahatma Gandhi Statue and Painting to Kerb stone at Collectorate Park, Jodhpur.

Construction of Pedestal with Green Marble Stone work for Manhatma Gandhi Statue and Painting to Kerb stone at Collectorate Park, Jodhpur का कार्य क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर एवं सम्पति पीडब्लुडी की होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की रू. 0.99 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

E. Certain Development works at Collectrate Office Gardens, Jodhpur.

Certain Development works at Collectrate Office Gardens, Jodhpur कार्य का क्षेत्राधिकार नगर निगम, जोधपुर एवं सम्पति पीडब्लुडी की होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की 7.85 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कलक्ट्रेट स्थित सार्वजनिक पार्क हेतु जनहित में उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित समस्त कार्यों की प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त प्रस्ताव के भाग 'C' में अंकित महात्मा गांधी जी की पत्थर की मूर्ति तैयार होकर प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी है। उक्त मूर्ति का आकार छोटा होने के कारण एवं पत्थर के स्थान पर पोलिरेजिन की दूसरी थोड़ी बड़ी मूर्ति लगाना उचित होगा। अतः इस मूर्ति को महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), चैनपुरा में स्थापित करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 06 :: जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने के प्रस्ताव के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। **JDA/FTS/NO .93506)**	जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति बाबत

लेवल क्रॉसिंग सी – 168 (आरटीओ ऑफिस फाटक) जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–112) के निकट स्थित है। यह क्रॉसिंग जोधपुर के आरटीओ ऑफिस (परिवहन विभाग) को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 112 से जोडती है। आरटीओ कार्यालय में वाहनों के आवागमन हेतु इस क्रॉसिंग का उपयोग किया जाता है, जिस कारण इस क्रॉसिंग पर यातायात का दबाव सदैव रहता है। प्राधिकरण द्वारा आरटीओ फाटक पर प्रतिदिन होने वाली यातायात की समस्या के निस्तारण हेतु रेल्वे क्रोसिंग सी–168 (आरटीओ फाटक) पर आरओबी का निर्माण करने हेतु राशि रू. 75.00 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 17.04.2018 के प्रस्ताव सं. 05 द्वारा जारी की गई जिसके अन्तर्गत रेल्वे क्रॉसिंग सी–168 पर आरओबी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। चुंकि इस रेल्वे क्रॉसिंग पर TVU 1.00 लाख से अधिक है, अतः रेल्वे द्वारा अपना अंशदान दिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। उपरोक्त कार्य की GAD, Chief Bridge Engineer, North Western Railway Jaipur द्वारा दिनांक 05.04.2018 को स्वीकृत की गई। कार्य की निविदा दिनांक 24.04.2018 को प्राप्त की गई तथा वित्तिय प्रस्ताव दिनांक 05.06.2018 को खोले गये। उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक 18.07.2018 को राशि रू. 70,88,98,716/– का जारी किया गया था। कार्य प्रारम्भ की दिनांक 18.07.2018 एवं कार्य पूर्ण करने की नियत दिनांक 17.01.2021 रखी गई है।

सर्वप्रथम दिनांक 28.07.2018 को सैन्य अधिकारियों द्वारा जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वंय का स्वामित्व बताकर प्रस्तावित आरओबी की टेस्ट पाईल का कार्य रूकवा दिया गया था। दिनांक 13.08.2018 को जिला कलक्टर जोधपुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें स्थानीय सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे (बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न)। जिला प्रशासन एवं सैन्य अधिकारियों में आम सहमति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित आरओबी के 60 मीटर लम्बाई में (जहां पर आरओबी की अधिकतम ऊँचाई होगी) 2 मीटर ऊँचाई की दीवार आरओबी पर बनाई जायेगी जिससे कि समीप में स्थित सैन्य संस्थान की गोपनीयता बनी रहे। साथ ही आरओबी पर सी.सी. टीवी कैमरे का भी प्रावधान प्राधिकरण द्वारा रखा जायेगा, जिसकी कन्ट्रोल यूनिट सैन्य संस्थान में होगी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण टेस्ट पाईल का कार्य पुनः प्रारम्भ कर देवें एवं तहसीलदार जोधपुर को निर्देश दिये गये कि भूमि का विनियम / ट्रान्सफर ऑफ लेण्ड संबंधी (सारण नगर से कालवी प्याउ तक) कार्यवाही प्रारम्भ की जावें। निर्देशों की पालना में प्राधिकरण द्वारा जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेस्ट पाईल का कार्य पूर्ण कर दिया गया।

दिनांक 02.09.2018 को स्थानीय सैन्य अधिकारियों द्वारा पुनः कार्य रूकवा दिया गया। कर्नल भूमि/लेण्ड, जीओसी, एचक्यू-जोसा ने अपने पत्र दिनांक 04.09.2018 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को अवगत करवाया कि जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (जोधपुर ग्राम खसरा संख्या 289) का स्वामित्व सेना के अधीन है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण को एम.ओ.डी. के सरकूलर दिनांक 11.03.2015 के अन्तर्गत ट्रान्सफर ऑफ लेण्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अवगत करवाया गया। इस संबंध में लेख है कि जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जिस पर सैन्य अधिकारियों द्वारा स्वंय का स्वामित्व बताया जा रहा है, इस पर पिछले 70 वर्षो से यातायात का आवागमन हो रहा हैं एवं उक्त मार्ग जयपुर-जोधपुर हेतु मुख्य मार्ग हैं। तत्पश्चात जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी का निर्माण कार्य बाधित रहा है एवं प्राधिकरण द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को स्थानीय सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता कर जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी के निर्माण कार्य को पुनः चालू करवाने हेतु निवेदन किया गया।

दिनांक 27.03.2019 को जोधपुर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें स्थानीय सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण पूर्व से ही स्थित सडक को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत करें (बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न)। निर्देशों की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पूर्व में स्थित सडक को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 21.08.2019 के तहत ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 289 रकबा 70 बीघा 6 बिस्वा भूमि रक्षा विभाग के नाम व शेष भूमि का रकबा 175.12 बीघा राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये गये (आदेश की प्रति संलग्न)। निर्देशों की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 24.09.2019 को जोधपुर ग्राम का खसरा संख्या 289 की 70.06 बीघा रक्षा विभाग के नाम व जोधपुर ग्राम का खसरा संख्या 289/1 की 135.19 बीघा, खसरा संख्या 289/2 की 17.00 बीघा, खसरा संख्या 289/3 की 22.13 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। जोधपुर तहसीलदार द्वारा जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने के पश्चात दिनांक 08.11.2019 को प्राधिकरण के संवेदक द्वारा जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य प्रारम्भ किया गया। दिनांक 10.11.2019 को स्थानीय सैन्य अधिकारियों द्वारा पुनः जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य रूकवा दिया गया। स्थानीय सैन्य अधिकारियों को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के आदेश की प्रति एवं जोधपुर तहसीलदार द्वारा जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाने संबंधी दस्तावेज से अवगत करवाया गया किन्तु स्थानीय सैन्य अधिकारियों ने उक्त आदेश को मानने से इनकार कर दिया एवं कार्य को बन्द रखने की हिदायत दी, अन्यथा संवेदक के मशीनरी/उपकरण जब्त करने संबंधी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई।

प्रत्येक बुधवार को जिला कलक्टर द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भी आरटीओ फाटक आरओबी के संबंध में चर्चा के दौरान निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त भूमि विवाद को जोधपुर रक्षा संपदा अधिकारी से संपर्क कर समाधान निकाला जायें। जोधपुर रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा सुझाया गया कि उक्त भूमि विवाद हेतु लाईसेन्स बेसिस पर वर्किंग परमिशन (ट्रांसफर ऑफ डिफेन्स लेन्ड) रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय दिल्ली से प्राप्त की जाकर कार्य संपादित करवाया जा सकता है। सुझाव अनुसार भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर वर्किंग परमिशन (ट्रांसफर ऑफ डिफेन्स लेन्ड) का प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2020 को सयुंक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

दिनांक 12.09.2020 को जोधपुर जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रक्षा विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण के बीच आर.टी.ओ. ऑफिस फाटक पर आरओबी निर्माण की चर्चा के दौरान यह आम सहमति बनी कि इस प्रकार की बुनियादी परियोजनाएं देश की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजस्व को निर्देश प्रदान किये गये कि रक्षा संपदा अधिकारी जोधपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करें एवं रक्षा संपदा अधिकारी को निर्देश प्रदान किये गये कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के लाईसेन्स बेसिस पर वर्किंग परमिशन (ट्रांसफर ऑफ डिफेन्स लेन्ड) के आवेदन की अनुमति को अतिशीघ्र प्रदान करवाने में सहयोग करावें (बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न)। इसी क्रम में एवं आदेशों की पालना में रक्षा संपदा अधिकारी जोधपुर के पत्र दिनांक 17.09.2020 द्वारा आर.टी.ओ. ऑफिस आरओबी एवं उसकी सर्विस रोड़ निर्माण हेतु कुल 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स

बेसिस/EVL(Equal Value Land) के विकल्प की सहमति जोधपुर विकास प्राधिकरण से मांगी गयी है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11015/2/2012/डी दिनांक 02.02.2016 के पेरा सं. 05 (C) के अनुसार सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं यथा फ्लाईऑवर, रेल ऑवरब्रिज, इलेक्ट्रीक केबल बिछाने, अन्डरग्राऊड पेयजल बिछाने, सीवर लाईन बिछाने, घरेलू गैस लाईन बिछाने इत्यादि हेतु रक्षा विभाग की भूमि लाईसेन्स बेसिस पर प्रदान की जाती है।

वर्तमान में आरओबी का निर्माण कार्य केवल 80 फीट छोर पर (जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरी ओर) किया गया है। उक्त छोर पर 8 पिलर एवं 7 डेकस्लेब का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिस पर लगभग राशि रू. 7.00 करोड का व्यय वर्तमान तक हो चुका है। वर्तमान में आरओबी का कार्य पूर्णतः बाधित है। कार्य संपादित करवाने हेतु साईट उपलब्ध न होने के कारण संवेदक द्वारा प्राधिकरण को नोटिस देते हुए आईडीएल मशीनरी एवं मानवश्रम का हवाला दिया गया है। यदि प्राधिकरण द्वारा संवेदक को साईट उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो संवेदक द्वारा भविष्य में आरबीट्रेशन में जाने की संभावना हैं एवं ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिया जाना आवश्यक है, जिससे कि रूके हुए निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया जा सकें। चूकिं प्रस्ताव जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खसरा सं. 289 की भूमि को लाईसेन्स बेसिस से संबंधित है अतः इसका अनुमोदन प्राधिकरण बैठक से अपेक्षित है। अतः जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को रक्षा विभाग से लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने का निर्णय लम्बे समय से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को आगे बढाने एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तदर्थ व्यवस्था के रूप में लिया गया। इस निर्णय से प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

प्रस्ताव संख्या 7 :: एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक नवीन डिवाइडर लगाने के कार्य के संबंध मे निर्णय बाबत्।

क सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। **JDA/FTS/NO 100343)**	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 24.02.2020 के **प्रस्ताव संख्या 11 एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक नवीन डिवाइडर लगाने के कार्य** के संबंध में लिये गए निर्णय के अनुसार गठित कमेटी द्वारा इस कार्य को प्रारंभ करने की अनुमति नही दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. कार्य की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 29/11/2017 के द्वारा राशि 315.80 की प्रदत्त है ।
2. मैसर्स सायर ट्रैडर्स को राशि 313.96 लाख का कार्यादेश दिनांक 25/09/2018 को जारी किया गया। (पृष्ठ सं. 08) **परिशिष्ट – A**
3. कार्य की प्रारम्भ तिथि 05/10/2018 व समाप्ति तिथि 04/04/2020 है।
4. कार्य का शिलान्यास तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28/09/2018 को किया गया ।
5. संवेदक मैसर्स सायर ट्रेडर्स के द्वारा पत्र दिनांक 07/02/2019 से सूचित किया गया कि उसके द्वारा एयरपोर्ट के सामने से जालिया हटा कर जेडीए परिसर में रखवा दी गयी है तथा स्पेशल स्टील शटरिंग का निर्माण व सीमेन्ट,

6. कार्य मौके पर प्रारम्भ नही होने के कारण संवेदक मैसर्स सायर ट्रेडर्स द्वारा लीगल नोटिस जरिए एडवोकेट दिनांक 25/03/2019 को प्राप्त हुआ। (पृष्ठ सं. 12 से 15) **परिशिष्ट – D** उक्त नोटिस मे उसके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए की गई पूर्व व्यवस्था के तहत 63,34,740/– का व्यय होना बताया गया। तथा कार्य होने की दशा मे होने वाले प्रोफिट 31,39,664/– बताया गया । इस प्रकार 94,92,904/– का निर्माण पूर्व व्यय व प्रोफिट की मांग की गई। जिसके सन्दर्भ मे पत्रावली के पैरा सं. 81 के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श आचार संहिता समाप्ति के पश्चात् प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । (पृष्ठ सं. 16) **परिशिष्ट – E**
7. संवेदक द्वारा दिनांक 27/05/2019 का पत्र प्रेषित किया गया तथा कार्य प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। (पृष्ठ सं. 17) **परिशिष्ट – F** जिसके सन्दर्भ मे पत्रावली के पैरा सं. 83 से 98 के अनुसार प्रकरण प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्देश दिया गया । (पृष्ठ सं. 18 से 21) **परिशिष्ट – G**
8. प्राधिकरण की दिनांक 02/08/2019 को हुई बैठक में प्रकरण रखा गया। (पृष्ठ सं. 22 से 28) **परिशिष्ट – H** बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27/08/2019 में एजेन्डा सं.08 में निर्णय हुआ कि जिस कार्य का शिलान्यास पत्थर लगा हुआ उस कार्यो की सूची बनाकर पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करे तथा निर्णय की अनुपालना मे पत्र कमांक अ.अ./पूर्व/2019–20/829–30 दिनांक 30/09/2019 द्वारा संवेदक को कार्य प्रारम्भ नही करने हेतु सूचित किया गया। (पृष्ठ सं. 29) **परिशिष्ट – I** वर्तमान मे कार्य प्रारम्भ नही कराया गया है।
9. जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24/02/2020 के तहत जारी बैठक कार्यवाही विवरण कमांक बैठक 1289 दिनांक 11/06/2020 के एजेन्डा प्रस्ताव संख्या 11 में हुए निर्णय मे गठित समिति द्वारा आगामी प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। (पृष्ठ सं. 30 से 34) **परिशिष्ट – J**
10. कमेटी ने पूरे प्रकरण का अवलोकन एवं जाँच उपरान्त यह पाया कि कार्य की समाप्ति दिनांक 04.04.2020 निकल चुकी है एवं कार्यादेश जारी हुए भी लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ नही है। अतः इस सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अब इस कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति दिया जाना उचित नही होगा। कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट संलग्न है। (पृष्ठ सं. 35) **परिशिष्ट – K**

अतः प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त तथ्यो को मद्वेनजर निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय की पालना में नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट के मद्देनजर कार्य का मौका निरीक्षण कर आवश्यक निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय, आयुक्त, सचिव एवं निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 08 :: जेडीए चौराहे से भास्कर चौराहे तक रोड़ की चौडाई करण एंव सिविल कार्य के संबंध मे निर्णय बाबत्।

क सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। **JDA/FTS/NO .100344)**	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 24.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 12 **Work of road windening and civil work of JDA Circle to Bhaskar Circle Jodhpur.** के संबंध में लिये गए निर्णय के अनुसार गठित कमेटी द्वारा इस कार्य को प्रारंभ करने की अनुमति नही दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. कार्य की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7/12/2019 के द्वारा राशि 284.35 की प्रदत्त है ।
2. मैसर्स जय भारत कन्स कम्पनी को राशि 234.80 लाख का कार्यादेश दिनांक 28/08/2018 को जारी किया गया । (पृष्ठ सं. 06) परिशिष्ट – A

1. कार्य की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 7/12/2019 के द्वारा राशि 284.35 की प्रदत्त है ।
2. मैसर्स जय भारत कन्स कम्पनी को राशि 234.80 लाख का कार्यादेश दिनांक 28/08/2018 को जारी किया गया । (पृष्ठ सं. 06) परिशिष्ट – A
3. कार्य की प्रारम्भ तिथी 6/09/2018 व समाप्ति तिथि 6/09/2019 है।
4. कार्य का शिलान्यास तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28/09/2018 को किया गया। परन्तु भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ नही कराया गया।
5. प्राधिकरण की दिनांक 02/08/2019 को हुई बैठक में प्रकरण रखा गया। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27/08/2019 में एजेन्डा सं.08 में निर्णय हुआ कि जिस कार्य का शिलान्यास पत्थर लगा हुआ उस कार्यो की सूची बनाकर पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। (पृष्ठ सं. 07 से 13) परिशिष्ट – B
6. मौके पर कार्य प्रारम्भ नही हुआ है तथा संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नही करने की सहमति प्रदान की गई है।
7. जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24/02/2020 के तहत जारी बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक 1289 दिनांक 11/06/2020 के एजेन्डा प्रस्ताव संख्या 12 में हुए निर्णय में गठित समिति द्वारा आगामी प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। (पृष्ठ सं. 14 से 18) परिशिष्ट – C
8. कमेटी ने पूरे प्रकरण का अवलोकन एवं जाँच उपरान्त यह पाया कि कार्य की समाप्ति दिनांक 06.09.2019 निकल चुकी है एवं कार्यादेश जारी हुए भी दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ नही है। अतः इस सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अब इस कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति दिया जाना उचित नही होगा। कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट संलग्न है। (पृष्ठ सं. 19) परिशिष्ट – D

अतः प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त तथ्यो को मद्देनजर निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय की पालना में नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्य अब प्रारम्भ किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त कार्य के निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 09 :: वित्तीय वर्ष 2020–21 मे पुनर्विनियोजन को प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत्।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	वित्तीय वर्ष 2020–21 मे पुनर्विनियोजन की प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 मे पुनर्विनियोजन को प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत्– जिन कार्यो हेतु बजट पुनर्विनियोजन करवाया गया है, उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं. सं.	कार्य का नाम	राशि पुनर्विनियोजन की गई राशि (लाखो में)
1.	मुख्य चौपासनी रोड से जैसलमेर बाईपास तक पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण	33.85
2.	नहर चौराहे से अणदाराम स्कूल, डाली बाई मंदिर से बद्री पैलेस तक स्थित डिवाईडर मे पेड पौधो लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	30.35
3.	डी. पी. एस. से बोरानाडा टोल नाका तक डिवाइडर मे पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	33.90

4.	पाल लिंक रोड, घडी तिराहे से सेन्ट्रल एकेडमी चौ0 हा0 बो0 डिवाईडर मे पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	12.55
5.	बाहरवी रोड चौराहे से डी पी एस सर्किल तक स्थित डिवाईडर मे पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	52.65

उक्त कार्य हेतु बजट अनुमान 2020–21 मे पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों को प्राधिकरण मे अनुमोदन प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	राशि जहां से ली जानी				क्र. सं.	राशि जहां को जानी हैं।					
	बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्विनियोजन की जाने वाली राशि घटाई गई	शेष प्रावधान		बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्विनियोजन किये जाने से प्राप्त राशि जोडी गई	योग	स्वीकृत दिनांक	बजट शीर्षक
1	5005–03 –000(8) (उत्तर)	150.00	33.85	116.15	1	5005–02 –000(8) (पश्चिम)	0	33.85	33.85	8/9/2020	वृक्षारोपण कार्य हेतु क्र.सं. 1
2	5005–04 –000(8) (दक्षिण)	100.00	30.35	69.65	2	5005–02 –000(8) (पश्चिम)	33.85	30.35	64.20	8/9/2020	वृक्षारोपण कार्य हेतु क्र.सं. 2
3	5005–03 –000(8) (उत्तर)	116.15	33.90	82.25	3	5005–02 –000(8) (पश्चिम)	64.20	33.90	98.10	9/9/2020	वृक्षारोपण कार्य हेतु क्र.सं. 3
4	5005–03 –000(8) (उत्तर)	82.25	12.55	69.70	4	5005–02 –000(8) (पश्चिम)	98.10	12.55	110.65	9/9/2020	वृक्षारोपण कार्य हेतु क्र.सं. 4
5	5005–04 –000(8) (उत्तर)	69.65	52.65	17.05	5	5005–02 –000(8) (पश्चिम)	110.65	52.65	163.30	9/9/2020	वृक्षारोपण कार्य हेतु क्र.सं. 5

उपरोक्तानुसार पुनर्विनियोजन प्राधिकरण में अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया है, अतः प्राधिकरण में सक्षम कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

	5002–02–006 (05) सीवरेज	3000.00	494.80	2505.20	6	5002–02–018 (01) (पश्चिम)	0	494.80	494.80	-	विनोबा भावे नगर नवीन आवासीय योजना हेतु एप्रोच रोड़

उपरोक्तानुसार पुनर्विनियोजन प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त पुनर्विनियोजन प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: **Development of recreation park at surpura dam, jodhpur**

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डाके संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। **JDA/FTS/NO .97001)**	कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 21.02.2020 के प्रस्ताव संख्या–18 में सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के पश्चात प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन का प्रस्ताव। चुंकि कार्य स्थल JDA के स्वामित्व से बाहर है अतः प्रकरण प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन की अभिशंषा की जाती है।

जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.19 को आयोजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा प्रस्तावित कार्य–"**Development of recreation park at surpura dam, jodhpur**" हेतु ई–निविदा क्रमांक–उत्तर/08/2019–20, दिनांक 08.12.19 जारी की गई थी जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 255.00 लाख है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण SOP के क्रम संख्या 4 बिन्दू सं. 02 की पालना में प्रस्ताव कार्यकारी समिति में रखा गया, कार्यकारी समिति की बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व–सम्मति से प्रकरण कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

चुंकि कार्य स्थल **JDA** के स्वामित्व से बाहर है, अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जा रहा है।

अतः आगामी प्राधिकरण की बैठक में सक्षम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के मद्देनजर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम–2020 को लागू करने के संबंध में।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसा एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है।	एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशंषा की जाती है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर द्वारा नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट किये जाने के संबंध में पत्र के साथ नवीन मॉडल भवन विनियम (मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर)भवन विनियम–2020) की प्रति प्रेषित कर प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया है। उक्त मॉडल भवन विनियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

1. हेतु निर्देशित बिन्दु संख्या 5.3 के एस–3 क्षेत्र (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन निर्माण हेतु मानदण्ड का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पृथक से किया जाना प्रस्तावित है।
2. अनुसूची–3 में वर्णित मापदण्ड जयपुर में स्थित विद्याधर नगर से संबंधित होने के कारण उक्त अनुसूची–3 को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 को रखा गया था। जिसके प्रस्ताव संख्या 8 के अन्तर्गत बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव अनुसार नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा नगरीय क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट किये जाने के संबंध में पत्र के साथ नवीन मॉडल भवन विनियम (मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम–2020) को उपरोक्त प्रस्तावनुसार संशोधन के साथ लागू करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार नवीन मॉडल भवन विनियम (मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम–2020) को संशोधन के साथ लागू करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के मद्देनजर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर हेतु लागू करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु निदेशक–आयोजना को निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किये गये जिन्हें टेबल एजेण्डा मानकर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया:–

प्रस्ताव संख्या 12 :: **सभांगीय आयुक्त महोदय कार्यालय जोधपुर में स्थित उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा निकाली गई दाण्डी यात्रा की प्रतिकात्मक मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मय 11 नग मूर्तियो का 7 फीट उंचाई वाली मूर्तियों का समूह स्थापित करने हेतु।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की प्राधिकरण बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्र.सं	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	**सभांगीय आयुक्त महोदय कार्यालय जोधपुर में स्थित उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा निकाली गई दाण्डी यात्रा की प्रतिकात्मक मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मय 11 नग मूर्तियो का 7 फीट उंचाई वाली मूर्तियों का समूह स्थापित करने हेतु।**

सभांगीय आयुक्त महोदय कार्यालय जोधपुर में स्थित उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा निकाली गई दाण्डी यात्रा की प्रतिकात्मक मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मय 11 नग मूर्तियो का 7 फीट उंचाई वाली मूर्तियों का समूह स्थापित करने हेतु श्रीमान अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्देशित किया गया।

उक्त प्रस्तावित स्थल सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर के स्वामित्व का है तथा जोविप्रा, जोधपुर के क्षेत्राधिकार की भूमि न होने के कारण प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन अपेक्षित है उक्त कार्य हेतु राशि रू. 23.00 लाख व्यय होना प्रस्तावित है।

अतः उक्त कार्य हेतु राशि रू. 23.00 लाख की स्वीकृति हेतु श्रीमान अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में स्थित सार्वजनिक उद्यान में पोलिरेजिन की मूर्तियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: **कार्यालय संभागीय आयुक्त महोदय परिसर में स्थित उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति बैठी अवस्था मूर्ति में 4 फीट की मूर्ति स्थापित करने हेतु।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की प्राधिकरण बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्र.सं	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	**कार्यालय संभागीय आयुक्त महोदय परिसर में स्थित उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति बैठी अवस्था मूर्ति में 4 फीट की मूर्ति स्थापित करने हेतु।**

कार्यालय संभागीय आयुक्त महोदय परिसर में स्थित उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति बैठी अवस्था में 4 फीट की मूर्ति स्थापित करने हेतु श्रीमान अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्देशित किया गया।

उक्त प्रस्तावित स्थल सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर के स्वामित्व का है तथा जोविप्रा, जोधपुर के क्षेत्राधिकार की भूमि न होने के कारण प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन अपेक्षित है उक्त कार्य हेतु राशि रू. 3.30 लाख व्यय होना प्रस्तावित है।

अतः उक्त कार्य हेतु राशि रू. 3.30 लाख की स्वीकृति हेतु श्रीमान अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में स्थित सार्वजनिक उद्यान में पोलिरेजिन की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या 5 में लिये गये निर्णय अनुसार पूर्व में निर्मित महात्मा गांधी जी की मूर्ति को राजकीय महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, चैनपुरा, जोधपुर में स्थापित किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2020/भाग–9 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या ..75.. /एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

(हरभान मीणा)
सचिव

कमांक/बैठक/2018/भाग(9)/125-140 दिनांक :: 25 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदया, नगर निगम, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
4– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
5– उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिंक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
6– संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
8– मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
9– प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10– आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण), जोधपुर
11– उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
12– वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
13– निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

14— निदेशक— अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

15— उपायुक्त—पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

16— अधीक्षण अभियन्ता—प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

17— एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।

18— सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

19— ....

(हरभान मीणा)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री (डॉ.) समित शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती कुन्ती देवड़ा परिहार, महापौर, नगर निगम (उत्तर), जोधपुर
2. श्री इन्द्रजीत यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
3. श्री जी.आर. सीरवी, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री अन्जुम ताहिर सम्मा, अतिरिक्त कलक्टर (भूमि रूपान्तरण), जोधपुर
5. श्री एम.एस. चारण, अधीक्षण अभियन्ता–शहर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री योगेश कुमार, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
8. श्री करण राज जीनगर, उप आवासन आयुक्त–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
9. श्री संजय माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
10. श्री सुनिल दत्त, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री अश्विन के. पंवार, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
14. श्री नाजिम अली खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री निरज मिश्रं, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर